



# एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

## सीटीएस 2010 पर आरबीआई से महत्वपूर्ण अधिसूचना मानक चेक

(सीटीएस समाशोधन स्थानों के लिए लागू)

आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2013 के परिपत्र - [DPSS.CO.CHD.No/133/04-07-05/2013-14](http://dpss.co.chd.No/133/04-07-05/2013-14) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों का समाशोधन विलंबित अंतरालों पर किया जाएगा।

**1 जनवरी 2015 से गैर-सीटीएस 2010 मानक चेक प्रत्येक सोमवार को समाशोधन किए जाएंगे।**

**कृपया ध्यान दें:**

- यह जांचना कि आपके द्वारा प्राप्त चेक जमा करने से पहले सीटीएस के अनुरूप हैं या नहीं और सीटीएस और गैर-सीटीएस चेक के लिए अलग-अलग जमा पर्ची भरें।
- सीटीएस 2010 मानक चेक सभी कार्य दिवसों पर समाशोधन किया जाएगा।
- अगस्त 2011 के बाद बैंक द्वारा जारी सभी चेकबुक सीटीएस 2010 के अनुरूप हैं। यदि आपकी चेकबुक अगस्त 2011 से पहले जारी की गई है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इंडेंट करें किसी भी असुविधा से बचने के लिए एक नई चेकबुक के लिए।
- यदि आपने अपने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए गैर-सीटीएस 2010 मानक पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी)/समान मासिक किस्त (ईएमआई) चेक जारी किए हैं, तो आप इन्हें ईसीएस/ईसीएस स्थलों के लिए स्थायी अनुदेशों अथवा गैर-ईसीएस स्थलों के लिए सीटीएस 2010 मानक चेकों से प्रतिस्थापित करने की सलाह दी जाती है।
- परिवर्तन/सुधार के साथ चेक जारी या स्वीकार न करें और कोई भी चेक जारी करने से पहले अपने खाते में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करें।

**सीटीएस 2010 चेकबुक की विशेषताएं:**

- "सीटीएस 2010" वेध के पास चेक पत्ती के बाईं ओर मुद्रित होता है।
- शून्य पेंटोग्राफ (डिजाइन की तरह एक तरंग) चेक पत्ती के बाईं ओर उभरा हुआ है।

**किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया शाखा कर्मचारियों से बात करें**